

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा RTI Act, 2005 के तहत दायर आवेदन संख्या GSTJP/R/E/26/00120/2 दिनांक 09.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जो मुख्य आयुक्त कार्यालय, CGST जयपुर जोन द्वारा इस कार्यालय को RTI Act, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया है।

२. इस संबंध में इस कार्यालय का उत्तर निम्नानुसार है:

बिंदु संख्या 1 से 15:

उपरोक्त बिंदुओं के संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा कैंटीन का संचालन नहीं किया जाता है तथा कैंटीन के संचालन हेतु इस कार्यालय द्वारा कोई निविदा (Tender) आमंत्रित नहीं की गई है। अतः उक्त संबंध में वांछित सूचना "शून्य (NIL)" है।